

हिन्दुस्तान

बिहार सरकार

दिनांक - 17-06-16

ग्रामीण विकास विभाग

ग्रामीण विकास विभाग योजनाओं के क्रियान्वयन, अनुश्रवण और गुणवत्ता की स्वतंत्र निगरानी हेतु कटिबद्ध है। इसके लिए विभाग द्वारा सूचीबद्धता पर राज्य स्तरीय गुणवत्ता अनुश्रवक (State Quality Monitor) को सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया गया है।

SQM की सूचीबद्धता कार्य आधारित होगी। कार्य निष्पादन हेतु उन्हें उन क्षेत्रों का दौरा करना होगा जहाँ वास्तव में योजनाएँ क्रियान्वित होती हैं। क्षेत्र भ्रमण का कार्यक्रम पाँच दिवसीय होगा जिसमें उन्हें लाभान्वितों से मिल कर, योजनाओं की जानकारी, क्रियान्वयन की स्थिति तथा सृजित परिसंपत्तियों की गुणात्मक जाँच करनी होगी तथा जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करना होगा।

SQM को मनरेगा अन्तर्गत अनुश्रवण एवं गुणवत्ता जाँच के अलावा उन कार्यों का भी निष्पादन करना होगा जो समय-समय पर ग्रामीण विकास विभाग उन्हें उपलब्ध कराया जायेगा, इसमें अन्य योजनाओं की गुणात्मक जाँच के अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त शिकायतें या अन्य कार्य इत्यादि होंगे।

सूचीबद्धता की शर्तें :-

- 1 SQM का चयन 2 वर्षों के सूचीबद्धता (Empanelment) के आधार पर किया जायेगा। उनके द्वारा संपादित कार्यों की वार्षिक समीक्षा की जायेगी। सेवा संतोषप्रद रहने की स्थिति में उनकी सेवा विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जा सकेगा। कार्य संतोषप्रद नहीं होने की दशा में सूचीबद्धता रद्द की जा सकती है।
- 2 SQM का चयन, प्रशासन, शिक्षा, लेखा, अकंक्षण, पुलिस, अभियंता, कृषि, योजना एवं सांख्यिकी, पशुपालन एवं मत्स्य तथा वन सेवा के अवकाश प्राप्त अधिकारियों, जो संयुक्त सचिव स्तर (पि-बैन्ड: 4, ग्रेड पे 8700 रु०) अथवा इसके उपर स्तर के हो तथा समाजशास्त्र/ सामाजिक क्षेत्र / के कार्यों का अनुभव हो, से किया जायेगा।
- 3 SQM को प्रतिदिन 1500/- रु० मानदेय देय होगा (यात्रा भत्ता अलग से)।
- 4 SQM को आवंटित जिले में 5 दिवसीय दौरा करना होगा (यात्रा भत्ता अलग से)।
- 5 SQM को प्रतिवेदन तैयार करने हेतु 3000/- रु० अलग से दिया जायेगा।

योग्यता :-

SQM पद हेतु न्यूनतम आईता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होगा। अवक सत्यनिष्ठा एवं उत्कृष्ट ख्याति प्राप्त व्यक्ति को प्राथमिकता दिया जायेगा।

उम्र सीमा - 66 वर्ष (दिनांक - 01.07.2016 आधारित)।

आवेदन की प्रक्रिया :-

योग्य उम्मीदवारों से विभागीय वेबसाइट rdd.bih.nic.in पर ऑनलाईन आवेदन 30 जून 2016 को 5:00 बजे अपराहन तक आमंत्रित किया जाता है।

सचिव

ग्रामीण विकास विभाग

पी.आर.-3017 (ग्राकावि.) 16-17

काम करने के एवज में सरकारी सेवक वेतन पाते हैं घूस नहीं